रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226586 CG-DL-E-13042021-226586

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1494] No. 1494] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1605(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ साठवां संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-
- (क) प्रथम अनुसूची में, "2. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "2. आयुष मंत्रालय";
- (ख) द्वितीय अनुसूची में,-
- (i) "आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आयुष मंत्रालय";

2259 GI/2021 (1)

- (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "आयुष मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-
 - (अ) प्रविष्टि 1, 2, 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 - "1. पारंपरिक एवं गैर-एलौपैथिक स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार पद्धतियां (स्वास्थ्य परिचर्या की आयुष पद्धतियां), जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी इत्यादि शामिल हैं, के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना।
 - 2. स्वास्थ्य परिचर्या की आयुष पद्धतियों के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय स्कीमों और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन।
 - 3. स्वास्थ्य परिचर्या की आयुष पद्धतियों में अनुसंधान और विकास का समन्वय तथा संवर्धन और उसमें सहायता करना।
 - 4. स्वास्थ्य परिचर्या की आयुष पद्धतियों से संबंधित अनुसंधान और विकास, शिक्षा तथा मानकों के लिए केंद्रीय संस्थानों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना";
 - (ब) प्रविष्टि 4क का लोप किया जाएगा;
 - (स) प्रविष्टि 5 के अधीन,-
 - (i) उप-प्रविष्टि (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-
 - "(क) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग" रखी जाएगी;
 - (ii) उप-प्रविष्टि (ख) का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/3/2019-मंत्रि.] आश्तोष जिंदल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

- **S.O. 1605(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixtieth Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
- (A) in THE FIRST SCHEDULE, for the heading "2. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely:-
 - "2. Ministry of Ayush (Ayush Mantralaya)";
- (B) in THE SECOND SCHEDULE,-
- (i) for the heading "MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (AYURVEDA, YOGA AUR PRAKRATIK CHIKITSA, UNANI, SIDDHA AUR HOMOEOPATHY (AYUSH) MANTRALAYA), the following heading shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF AYUSH (AYUSH MANTRALAYA)";

(ii) under the heading "MINISTRY OF AYUSH (AYUSH MANTRALAYA)" as so substituted,-

- (a) for entries 1, 2, 3 and 4, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "1. Formulation of policy and policy issues for development and propagation of Traditional & Non-Conventional Systems of Health Care and Healing which include Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa and Homoeopathy etc. (Ayush systems of Health Care).
 - 2. Development and implementation of programmes including Central schemes and Centrally sponsored schemes for development and propagation of Ayush systems of Health Care.
 - 3. Co-ordination and promotion of research and development including assistance therefor in Ayush systems of Health Care.
 - 4. Setting up and maintenance of Central institutions for research and development, education and standards relating to Ayush systems of Health Care.";
- (b) entry 4A shall be omitted;
- (c) under entry 5, -
 - (i) for sub-entry (a), the following sub-entry shall be substituted, namely:"(a) Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy";
 - (ii) sub-entry (b) shall be omitted.

		Ram Nath Kovind
		President

[F. No. 1/21/3/2019-Cab.] ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.